LATEST

NEWS

Election

Date : 15th Jan. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

RAJASTHAN
राजस्थान
11
राजस्थान पत्रिका
जयपुर, गुरुवार, 15 जनवरी, 2026

हर विस में 4 से 5 हजार वोट कटवाने की रची जा रही साजिश: डोटासरा

जयपुर @ पत्रिका. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में बड़े पैमाने पर वोट चोरी और लोकतंत्र की लूट का आरोप लगाया है।

डोटासरा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के बाद मुख्यमंत्री निवास से एक पेन ड्राइव जारी की गई, जिसमें प्रदेश की हर विधानसभा में कांग्रेस समर्थित 4 से 5 हजार वोट कटवाने से जुड़ा षड्यंत्रकारी डेटा बताया गया है। उन्होंने कहा कि सीएमआर के माध्यम से यह डेटा विधानसभा-वार भाजपा नेताओं तक पहुंचाया गया।

वहीं आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने एसआइआर के दौरान मतदाता सूची से उनके क्षेत्र में अनावश्यक रूप से मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया है। खान ने आरोप लगाया कि दस्तावेज में कमी का हवाला देकर विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं।

BJP plans to delete over 4,000 Congress voters in each state Assembly segment, says Dotasra

Press Trust of India
Jaipur, January 14

RAJASTHAN CONGRESS chief Govind Singh Dotasra Wednesday said a pen drive with constituency-wise data was issued from the Chief Minister's residence with the aim of deleting 4,000-5,000 Congress-leaning voters in each Assembly segment. The BJP refuted the allegation, saying Dotasra was making "baseless" claims.

Alleging a "large-scale conspiracy" to cut the Congress vote bank in the state, Dotasra said that the data was provided after Union Home Minister Amit Shah's recent visit to Jaipur and circulated among BJP leaders. "Extremely disturbing and highly serious information has come to light that, with the objective of cutting Congress votes, a planned conspiracy has been hatched at the highest level by the Modi government and the BJP," he said, and asked party workers to remain vigilant.

Dotasra said, "It has been learnt that this data was circulated through the CM's residence to BJP leaders constituency-wise, and that ahead of the final objection deadline under the SIR on January 15, a large number of forms are being submitted at Sub-Divisional Officer offices to facilitate the deletion of Congress votes." He then asked Congress booth-level agents, local leaders, MLAs and district office-bearers to coordinate with district administrations and closely monitor the revision process to ensure that no valid vote was deleted. "Congress would fight the issue decisively to protect democratic institutions," he said.

Responding to the allegation, former LoP Rajendra Rathore said, "The allegation of conspiracy and pen drives circulated to BJP leaders is totally baseless and imaginary... This is not the first time that SIR has taken place. The exercise has also taken place during Congress rule."

दैनिक भास्कर

जयपुर 15-01-2026

हर विधानसभा में 5-6 हजार वोट काटने के निर्देश : कांग्रेस

SIR का विरोध, आरोप-कांग्रेस समर्थित वोट काटे गए, डोटासरा बोले-खुलासा जल्द

जयपुर | कांग्रेस ने एसआईआर का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी भाजपा के इशारे पर एक समुदाय विशेष के नाम मतदाता सूची में से कटवाए जा रहे हैं। सूची में हर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित 5 से 6 हजार वोटर्स को हटवाने को कहा गया है। वहीं, बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित लोगों के नाम जोड़ने को कहा गया है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र की लूट की जा रही है। ये कोई साधारण राजनीतिक साजिश और एक राज्य का मामला नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। बेहद चिंताजनक एवं अति-गंभीर जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस के वोट काटने के उद्देश्य से मोदी सरकार और भाजपा शीर्ष स्तर पर योजनाबद्ध षड्यंत्र रचा गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के बाद पैन ड्राइव जारी की गई है, जिसमें प्रदेश की हर विधानसभा में कांग्रेस समर्थित 4 से 5 हजार वोट कटवाने का डेटा दिया गया है। कांग्रेस के जायज वोट काटने की साजिश है।

कांग्रेस इस पर मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को पूरी जानकारी भी साझा करेगी। बड़ा खुलासा करेंगे। इधर, विधानसभा में विपक्षी सचेतक रफीक खान का आरोप है कि भाजपा एक समुदाय को टारगेट करके वोट कटवाना चाह रही है। बीएलओ ने जिन नामों को वेरिफाई कर दिया उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर करा रहे हैं। बीएलओ पर इसके लिए दबाव बना रहे हैं। जो पहले नाम कट गए, उनको जोड़ने के लिए एक बूथ पर 50 का नाम जुड़वाने का टारगेट दे रहे हैं।

भास्कर इनसाइट

यूपी में हर 5वां वोटर सूची से बाहर, राजस्थान में हर 13वां मतदाता हटा

हर्ष खटाना | जयपुर

यूपी में एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट से हर 5वां व्यक्ति वोटर लिस्ट से बाहर है। राजस्थान से इसकी तुलना करें तो हर 13वां वोटर बाहर हुआ है। राजस्थान में दस्तावेज दिखाने की केटेगरी में 11 लाख है, जिसका आंकड़ा कुल मतदाताओं की तुलना में हर 50वें व्यक्ति का रहा है। राजस्थान में 41.85 लाख वोटरों के यानी 7.66% नाम काटे गए जबकि यूपी में 2.89 करोड़ यानी 18% नाम कटे है। राजस्थान में 29.6 लाख वोट शिफ्ट हुए जबकि डुप्लीकेट वोट 3.44 लाख था। वहीं राजस्थान में 5 करोड़ 46 लाख में से 5.04 करोड़ वोटर एसआईआर के बाद बचे हैं।

तुलना	यूपी	राजस्थान
कुल मतदाता	15.44 करोड़	5.46 करोड़
हटाए गए नाम	2.89 करोड़	41.85 लाख
प्रतिशत हटाए	18.7%	7.7%

एसआईआर के तहत राजस्थान में सबसे अच्छा काम हुआ है। सभी जगह की भौगोलिक स्थितियां और हालात भिन्न हैं। काम, व्यवसाय, पढाई आदि के लिए पलायन के प्रतिशत अलग रहते हैं।

-नवीन महाजन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान

गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी तबादला आदेश प्रत्याहरित

चुनाव आयोग का शिक्षा विभाग पर डंडा

एसआईआर में लगे अध्यापकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

जयपुर, 14 जनवरी (ब्यूरो): दो साल में भी तबादला नीति तैयार किए बिना और तबादलों पर लगी रोक हटाए बगैर शिक्षा विभाग ने पांच जनवरी से लेकर नौ जनवरी तक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर्स के मिलाकर लगभग 13 से 14 हजार तबादला आदेश जारी किए। अब राज्य और दिल्ली के मुख्य चुनाव आयोग ने राज्य के शिक्षा विभाग पर डंडा चलाते हुए तत्काल प्रभाव से सभी तबादला आदेश प्रत्याहारित कर दिए। निदेशक सीताराम जाट ने लोहड़ी के दिन मंगलवार को आदेश जारी कर तबादला आदेश प्रत्याहारित करने के निर्देश दिए।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्य में गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में अध्यापक एसआईआर में लगे हैं। ऐसे में बिना आयोग की पूर्व अनुमति के तबादला करने से प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस कारण एसआईआर में लगे अध्यापकों का तबादला रद्द किया गया। आदेश के बाद स्कूलों से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किए गए अध्यापक नवनियुक्ति स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। जनवरी के 5 से 9 तारीख तक लगातार तबादला आदेश जारी किए गए। शिक्षा मंत्री भी पीठ थपथपाते रहे कि उनके विभाग ने 13-14 हजार तबादला आदेश जारी किए हैं। इनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल-लेक्चरर्स शामिल हैं।

तबादला रद्द करने में आधार

निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर एसआईआर में लगे अध्यापकों के तबादले प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे। इन अध्यापकों के तबादला आदेश प्रत्याहारित किए गए। यदि किसी अध्यापक को तबादले के दौरान कार्यमुक्त किया गया था तो उसे तुरंत उसी स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह कदम केवल चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में बिना अनुमति किसी भी तबादला आदेश को लागू न किया जाए।

Party's Ajmer unit seeks probe into deletion of names in SIR

TIMES NEWS NETWORK

Ajmer: The city Congress Wednesday raised the issue of Special Intensive Revision (SIR) and alleged that the ruling BJP planned to remove the names of Congress voters. The Congress gave a memorandum to the district collector and demanded an investigation into the matter.

Congress, under the leadership of former RTDC chairman Dharmendra Rathore and president of the district city Congress committee Rajkumar Jaipal, gave a memorandum and alleged that the use of Form 6 was misused and, without proper documents, the SIR showed that voters were not present at their residence.

The Congress also gave examples of certain wards, including booth number 80 and 29, where the name of the BLA Arif Khan was removed and shifted on a fake complaint.

Rathore said, "This is not only an administrative mistake but also an attempt to weaken the democratic system." He alleged that, with forged signatures and without any evidence, the complaints were treated as correct and hundreds of voters were removed. The Congress claimed that the names of 4,000 to 5,000 Congress workers were removed in every state assembly constituency of Rajasthan.

Shaukat Ahmed

A Cong delegation hands over a memorandum to the Ajmer district collector Wednesday

बीएलओ व सुपरवाइजरों को दिया प्रशिक्षण

जिला परिषद में आयोजित बैठक में दिये निर्देश

श्रीगंगानगर (एसबीटी न्यूज)। जिला परिषद सभागार में बुधवार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने सबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समस्त बीएलओ और सुपरवाईजरों को विशेष गहन पुर्नरीक्षण कार्यक्रम के तहत दिये गये नोटिस का जवाब कल तक आमंत्रित करने सबंधित प्रशिक्षण दिया गया। कल तक नोटिस के अनुसार आवश्यक कागजात पेश नहीं करने वाले मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से कल गुरुवार को विशेष गहन पुर्नरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 2002 की मतदाता सूची में शामिल वोटर कार्ड संख्या एवं सबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि है।

निर्वाचन कार्यों की बारीकियों से कराया रूबरू

बीएलओ को दी गई तकनीकी ट्रेनिंग

फाइटर न्यूज़ @ श्रीगंगानगर

आगामी निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारी और मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर आज जिला परिषद सभागार में जिले के बूथ लेवल अधिकारियों-बीएलओ के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग में बीएलओ को डिजिटल प्रक्रिया और तकनीकी सुधारों की विस्तृत जानकारी दी गई।

मास्टर ट्रेनर विकेश कुमार ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान बीएलओ को 'जनरल नोटिस फेज' के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि इस चरण के दौरान फील्ड से किस तरह डॉक्यूमेंट्स एकत्र करने हैं, उन्हें पोर्टल पर | शेष... | पेज 2 पर

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 की प्रगति की समीक्षा, रोल पर्यवेक्षक का राज्य दौरा

राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में हुई समीक्षा बैठक

जागरूक टाइम्स संवाददाता

धौलपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सचिवालय में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष रोल पर्यवेक्षक द्वारा राज्य में चल रही पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विशेष रोल पर्यवेक्षक अदिति सिंह ने सचिवालय में आयोजित बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। महाजन ने बताया कि इस व्यापक अभियान में 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 200 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 854 से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 6,373 बीएलओ पर्यवेक्षक, 61,404 बीएलओ, 2.03 लाख से अधिक स्वयंसेवक तथा 1.06 लाख से अधिक बीएलए सक्रिय रूप से सहभागी हैं। राज्य में यह विशेष गहन पुनरीक्षण 41 जिलों की 200 विधानसभा क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है।

पुनरीक्षण की प्रमुख गतिविधियां : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत पूर्व-गणना चरण में मतदाताओं को उनकी जन्मतिथि एवं वर्ष 2002 की अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। राज्य स्तर पर डाटाबेस आधारित मैपिंग की गई तथा बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2002 की मतदाता सूचियां सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई गई तथा अंतर-विधानसभा एवं अंतर-राज्य समन्वय स्थापित किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गणना चरण से पूर्व ही लगभग 70 प्रतिशत मतदाताओं की सफल मैपिंग सुनिश्चित की गई।

गणना एवं प्रारूप प्रकाशन : उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को 199 विधानसभा क्षेत्रों (अन्ता विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर) में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की गई। कुल 5.46 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र जारी किए गए, जिनमें से 5.04 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किए गए। इनमें से 98.36 प्रतिशत मतदाताओं की वर्ष 2002 की मतदाता सूची से सफल मैपिंग की गई। महाजन ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके बाद अंता विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 जनवरी 2026 को किया गया। इस दौरान मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण करते हुए उनकी संख्या 52,469 से बढ़ाकर 61,404 की गई, जिससे मतदाताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

पारदर्शिता एवं दावा-आपत्ति प्रक्रिया : महाजन ने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी राजनीतिक दलों को एएसडी सूचियाँ उपलब्ध कराई गई। प्रारूप मतदाता सूची, दावा-आपत्ति विवरण तथा अपवर्जित मतदाताओं की सूचियां मतदान केन्द्रों, पंचायत/शहरी निकाय कार्यालयों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक जारी नोटिस चरण के दौरान लगभग 8.28 लाख मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। इस चरण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची से वंचित न रहे।

रोल पर्यवेक्षकों की भूमिका : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रोल पर्यवेक्षकों को प्रत्येक जिले का न्यूनतम तीन बार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं दावा-आपत्ति प्राप्ति, उनके निस्तारण तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के चरण में। इन भ्रमणों के माध्यम से फील्ड स्तर पर कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमित रूप से मीडिया ब्रीफिंग कर विशेष गहन पुनरीक्षणद-2026 की प्रगति से आमजन को अवगत कराया जा रहा है। राजस्थान में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु अन्य राज्यों के निर्वाचन विभागों के अधिकारियों द्वारा भी राज्य का भ्रमण किया गया है। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ समस्त संभाग प्रभारी अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 की प्रगति की समीक्षा, रोल पर्यवेक्षक का राज्य दौरा

राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में आयोजित हुई समीक्षा बैठक

निजी संवाददाता धौलपुर, . 14 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 का कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम मे मगलवार को सचिवालय में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष रोल पर्यवेक्षक द्वारा राज्य में चल रही पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई।मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि विशेष रोल पर्यवेक्षक सुश्री अदिति सिह ने सचिवालय मे आयोजित बैठक मे विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियो की उपस्थिति में पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

श्री महाजन ने बताया कि इस व्यापक अभियान मे 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 200 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 854 से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 6,373 बीएलओ पर्यवेक्षक, 61,404 बीएलओ, 2.03 लाख से अधिक स्वयंसेवक तथा 1.06 लाख से अधिक बीएलए सक्रिय रूप से सहभागी है। राज्य मे यह विशेष गहन पुनरीक्षण 41 जिलो की 200 विधानसभा क्षेत्रो मे संचालित किया जा रहा है।

पुनरीक्षण की प्रमुख गतिविधियाँ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के अंतर्गत पूर्व–गणना चरण मे मतदाताओं को उनकी जन्मतिथि एवं वर्ष 2002 की अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। राज्य स्तर पर डाटाबेस आधारित मैपिग की गई तथा बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2002 की मतदाता सूचियाँ सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई गई तथा अंतर–विधानसभा एवं अंतर–राज्य समन्वय स्थापित किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गणना चरण से पूर्व ही लगभग 70 प्रतिशत मतदाताओं की सफल मैपिग सुनिश्चित की गई।

गणना एवं प्रारूप प्रकाशन

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को 199 विधानसभा क्षेत्रो (अन्ता विधानसभा क्षेत्र को छोडकर) मे विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की गई। कुल 5.46 करोड मतदाताओं को गणना प्रपत्र जारी किए गए, जिनमें से 5.04 करोड मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची मे सम्मिलित किए गए। इनमे से 98.36 प्रतिशत मतदाताओं की वर्ष 2002 की मतदाता सूची से सफल मैपिंग की गई।

श्री महाजन ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को प्रारुप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके बाद अंता विधानसभा क्षेत्र की प्रारुप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 जनवरी 2026 को किया गया। इस दौरान मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण करते हुए उनकी संख्या 52,469 से बढ़ाकर 61,404 की गई, जिससे मतदाताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

पारदर्शिता एव दावा–आपत्ति प्रक्रियाश्री महाजन ने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया मे पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी राजनीतिक दलों को एएसडी सूचियाँ उपलब्ध कराई गईं। प्रारूप मतदाता सूची, दावा–आपत्ति विवरण तथा अपवर्जित मतदाताओं की सूचियाँ मतदान केन्द्रों, पंचायत/शहरी निकाय कार्यालयों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक जारी नोटिस चरण के दौरान लगभग 8.28 लाख मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। इस चरण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षको की नियुक्ति की गई है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची से वंचित न रहे।

रोल पर्यवेक्षकों की भूमिका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रोल पर्यवेक्षकों को प्रत्येक जिले का न्यूनतम तीन बार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए है दावा–आपत्ति प्राप्ति, उनके निस्तारण तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के चरण मे। इन भ्रमणों के माध्यम से फील्ड स्तर पर कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमित रूप से मीडिया ब्रीफिंग कर विशेष गहन पुनरीक्षणद–2026 की प्रगति से आमजन को अवगत कराया जा रहा है। राजस्थान मे अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु अन्य राज्यो के निर्वाचन विभागों के अधिकारियों द्वारा भी राज्य का भ्रमण किया गया है। बैठक मे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ समस्त सभाग प्रभारी अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।